न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 124/2011 (उदयपुर आर्डर)

नाथूसिंह पिता गंगासिंह जी राजपूत, निवासी वणी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत मोड़ी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोड़ी, तहसील, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम – 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर उदयपुर क्रमांक प.12/6( )राज. /06/460–62 दिनांक 20–01–2007

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 12–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक प.12/6( )राज./06/460–62 दिनांक 20–01–2007 के विरूद्ध अपीलान्ट ने दिनांक 25–10–2011 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी में अपील के कलम संख्या (क) में वर्णित आराजियात कुल किता 44 रकबा 63.3800 हैक्टर भूमि स्थित है। इस भूमि के आराजी नंबर 474 मी. रकबा 5.4750 हैक्टर में से 1.2900 हैक्टर पर अपीलान्ट का पुराना कब्ज संवत् 2036 से निरन्तर चला आ रहा है। अपीलान्ट ने इस भूमि पर लाखों रूपये लगाकर जमीन को आबाद किया है, परन्तु जिला कलक्टर ने कथित आदेश दिनांक 20–01–2007 से चरनोट घोषित कर दिया, जो गलत है। भूमि चारागाह घोषित करने से पूर्व न तो आपत्तियां आमंत्रित की न ही

अपीलान्ट को कोई सूचना दी। यहां तक कि पटवारी ने भी कब्जे के सम्बन्ध में सही रिपोर्ट पेश नहीं की। कथित जमीन को चारागाह घोषित नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा बिलानाम आराजी नंबर 910 को चारागाह घोषित किया जाकर आराजी नंबर 474 मी. का रकबा 1.2900 हैक्टर चारागाह से कम कर बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना चाहिए।

मयाद कण्डोन किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि चरनोट करने से पूर्व अपीलान्ट को नहीं सुना गया, न कोई सूचना दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी नंबर 474 मी. में से 1.2900 हैक्टर भूमि पर उसका संवत् 2036 से भी 3–4 वर्ष पूर्व से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, परन्तु उक्त भूमि चारागाह घोषित करने से पूर्व उसे सुना नहीं गया है, जबकि उक्त भूमि उसकी खातेदारी भूमि से मिली हुई है, जिससे उसका पुराना कब्जा होने से नियमन कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलान्ट हितबद्ध, व्यथित है।

→ हमारे द्वारा दफा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट स्वयं यह कहता है कि उसका इस भूमि पर सवंत् 2036 यानि 1979 से कब्जा है, जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सन् 1971–72 से पूर्व के चारागाह भूमि पर कब्जे को नियमन किये जाने के प्रावधान हैं।

प्रकरण में जहां तक राजकीय भूमि पर किसी अतिक्रमी का लोकस स्टैण्डाई का प्रश्न है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता। भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि से मिली होने के आधार पर वह नियमन की पात्रता रखता हो तथा उसके 30 वर्ष के पुराने कब्जे को नियमन कराये जाने के लिए उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर नहीं है। अपीलान्ट का किसी राजकीय भूमि पर लम्बा कब्जा हो तो इस कारण उक्त भूमि को

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने को निषिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह प्रमाणित नहीं हो कि अपीलान्ट उक्त भूमि के आवंटन/ नियमन की पात्रता रखता हो। यदि वह आवंटन/नियमन की पात्रता रखता है तो उसके द्वारा अब तक आवेदन क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, इस हेतु कोई तथ्य रेकार्ड पर नहीं है।

समग्र रूप से राजकीय भूमि को चारागाह घोषित किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के अधिकारों का पोषित किये जाने का विधिक अधिकारी नहीं माना है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। वैसे भी चारागाह भूमि के प्रकरणों में जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 132/2011 में जगपाल बनाम सरकार व अन्य के प्रकरण में दिनांक 28–01–2011 को निर्णय पारित किया है, आवंटन/नियमन निषिद्ध है। तद्नुसार हम चारागाह भूमि के सम्बन्ध में किसी निजी व्यक्ति को भूमि आवंटन/नियमन किये जाने के लिए किसी प्रकार की कोई विधिक प्रस्थिति नहीं पाते। तद्नुसार हम अपीलान्ट को प्रकरण में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट हितबद्ध, प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपीलान्ट का धारा 96 का आवेदन खारिज किया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–01–2007 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर